कार्यालय 01372—252114
फैक्स 01372—252114
E-mail:- cd.gopeshwar@ gmai l.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम गोपेश्वर (चमोली)

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क,
जोशीमठ।

पत्रांक- 2079 / प0 49 / 40 दिनांक 02-9-2021

विषय— जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत स्रोत संवर्द्धन (दीर्घकालीन) पेयजल योजना के निर्माण हेतु 1.149 है0 वन भूमि का पेयजल निगम को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 08बी0/यू0सी0पी0/09/64/2018/10 एफ0 सी0/469 दिनांक 29.05.2019 व कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक – 2417/FP/UK/WATER/2619/2017दिनांक 04.03.2020 एवं पत्रांक 2910FP/UK/WATER/41671/2019 दिनांक 24.06.2021 के अनुपालन में विषयांकित प्रकरण पर प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त कमाक 01 से 06 तक की शर्तें पूर्ण कर निम्न प्रकार प्रेषित है।

क0सं0	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तें	निराकरण
01	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.30 है0 ग्राम उच्छोग्वाड़ सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर हैं अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	1. प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा कर दी गयी है। (चालान की प्रति संलग्न) 2. प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.30 है0 ग्राम उच्छोग्वाड सिविल सोयम भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण वन विभाग के नाम की कार्यवाही कर ली गयी है। (आदेश की प्रति संलग्न)
02	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5—3/2007—एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5—3/2007—एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा कर दी गयी है।(चालान की प्रति संलग्न)
03	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न
04	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost,NPV etc) को वैब पोर्टल पर Online Generate किये गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किये जाए अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	जमा की गयी सभी निधियां (CA cost,NPV etc) को वैब पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम से जमा कर दी गयी है।

02 copy file
01 forest HQ
01 my self

02/9/2021

☎ कार्यालय 01372—252114
फैक्स 01372—252114
E-mail:- cd.gopeshwar@ gmai l.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम गोपेश्वर (चमोली)

05	निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् जहां—जहां सम्भव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानो पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में वृक्षारोपण किया जायेगा। इस आश्य की वचन वद्धता प्रेषित करनी होगी।	इस आशय का वचन वद्धता प्रमाण पत्र संलग्न।
06	राज्य सरकार डिजिटल मानचित्र पर समस्त components अंकित कर इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेगी।	डिजिटल /जियो रेफिरेन्स मानचित्र पर समस्त COMPUNENTS अंकित कर मूल प्रति में संलग्न।

शर्त संख्या—06 के अनुपालन में डिजिटल /जियो रेफिरेन्स मानचित्र पर समस्त COMPUNENTS अंकित कर मूल प्रति में — 06 प्रति जियो रेफिसेन्स व 06 प्रति डिजिटल मानचित्र संलग्न कर आपके हस्ताक्षर के उपरान्त आपके कार्यालय के माध्यम से 03— 03 प्रतियों में प्रेषित की जानी है व 01 प्रति आपके कार्यालय अभिलेख हेतु व 02 प्रति आपके हस्ताक्षर उपरान्त ऑनलाईन हेतु इस कार्यालय को लौटाने की कृपा करेंगे।

अतः निवेदन है कि उपरोक्त प्रपत्रों को कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर देहरादून को प्रेषित करने की कृपा करेंगे।

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(वी0के0 जैन)
o/c अधिशासी अभियन्ता।

पृ0सं0एवं दिनांक यथापरोक्त।

प्रतिलिपि सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

o/c अधिशासी अभियन्ता।